

**कार्यालय,
अभिव्य. प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उपग्रह परदेस लखनऊ।**

संख्या- अभिव्य./प्राविध. सम्बन्धा/ 2020 / 1971

कार्यालय दिनांक: 16-8-2020

-कार्यालय प्रत्य-

अभिव्य. प्राविधिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्गो काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा अधिसू. सं. 2020-21 हेतु विस्तार अभिव्य. प्राविधिक शिक्षा सम्बन्धी की अनुमोदन प्रदान किए जाने से उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उपाध्यक्ष संघ से सम्बन्धा, सम्बन्धा विद्यालय द्वारा किए जाने हेतु दिनांक 16-8-2020 को आदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद, उपाध्यक्ष संघ की अध्यक्षता में संयुक्त कार्यालय में बैठक आयोजित हुई। बैठक में कार्गो द्वारा सं. 2020-21 हेतु कार्यालय नई दिल्ली की सम्बन्धा, नई दिल्ली प्राविधिक सम्बन्धी की सम्बन्धा विद्यालय, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष इति आदि बातें चर्चा की गयीं। बैठक द्वारा सं. 2020-21 हेतु सम्बन्धा विद्यालय विद्ये जाने का निर्णय किया गया।

एसा की अनुमोदन से सम्बन्धा लॉजि की बैठक को सं. 3 में विस्तार इन कार्गो उपाध्यक्ष प्राविधिक द्वारा जारी हुई से सम्बन्धा सम्बन्धी का प्रस्ताव रखा गया। सम्बन्धा कार्गो द्वारा प्राप्त किया गया। इस विस्तार विषयक किया गया।

निजी क्षेत्र में स्थापित कम्प्लेक्स इन कार्गो प्रावृथकन संघासित करने वाली संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, उपाध्यक्ष संघ से पूर्व से सम्बन्ध हैं, एवं सं. 2020-21 हेतु पीएनआईआई द्वारा चर्चे फाइनल अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीएनआईआई द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार की अनुसार चर्चा के साथ ही सम्पूर्ण अभिव्य. प्रावृथकन/प्रवेश इंसाला की साथ सं. 2020-21 हेतु परिषद से सम्बन्धा विस्तार प्रदान किये जाने पर अधिसू. द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीएनआईआई द्वारा प्रदान अनुमोदन विस्तार की अनुमोदन से सं. 2020-21 हेतु परिषद से सम्बन्धा विस्तार विद्ये जाने का निर्णय किया गया।

दिनांक 16-8-2020 को आयुक्त सम्बन्धा लॉजि की बैठक में विद्ये गये उपरोक्त निर्णय से अनुमोदन से विस्तार प्रदान की प्राविधिक शिक्षा परिषद, उपाध्यक्ष संघ द्वारा सं. 2020-21 हेतु विस्तार प्रदान किये की अधिसू. प्रदानकन एवं कार्गो अभिव्य. उपाध्यक्ष द्वारा सं. सम्बन्धा विस्तार प्रदान की जारी है।

क्र. सं.	सं. सं.	कार्गो का सं.	अनुमोदन का सं.	पीएनआईआई द्वारा सं. 2020-21 हेतु अनुमोदन किये गये सं.	पीएनआईआई द्वारा सं. 2020-21 हेतु अनुमोदन किये गये सं.
1	100	विद्यालय नई दिल्ली उपाध्यक्ष संघ	विस्तार प्रदान किये	10	10

सम्बन्धा हेतु सं.

- ✓ एसा सम्बन्धी/पीएनआईआई/ पीएनआईआई द्वारा निर्णय की गयी गयी का पूर्ण प्रदान किये।
- ✓ एसा द्वारा जारी प्राविधिक शिक्षा परिषद उपाध्यक्ष संघ से सम्बन्धा विद्यालय विस्तार प्रदान किये गये।


Principal
Amala Devi Pharmacy College
Laxmanpur, Gumbachhat, Jampur

आपति

सविश्व प्रशिक्षण शिक्षण परिषद

इलाहाबाद प्रदेश सरकार

संख्या - प्रशिक्षण/डीएफए संख्या/2021-22/37

तारीख: दिनांक 08/08/2021

आपतिगत आदेश

अधिसूचित आदेशों के अंतर्गत शिक्षण परिषद, नई दिल्ली/राज्यीय आयोगों और अधिसूचित नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित वर्ष 2021-22 हेतु विदेशी/राज्यीय/राज्यीय शिक्षण परिषदों को अनुमोदन प्रदान किए जाने के अलावा प्रशिक्षण शिक्षण परिषद, (ए.ए.ए.) सरकार में सम्बद्धता/सम्बद्धता विभाग प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 08/08/2021 को अधिसूचित आदेशों में सम्बद्धता अधिसूचित की बैठक कायम हुई। बैठक में समिति द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु अधिसूचित नई दिल्ली को सम्बद्धता पूर्व में अधिसूचित आदेशों को सम्बद्धता विभाग, प्रशासनिक प्रयोग अलावा सूचित अधिसूचित नया मंत्री का निर्णय करने हुए वर्ष 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विभाग प्रदान किए जाने का निर्णय किया गया।

सम्बद्धता अधिसूचित की बैठक में विदेश नए निर्णय के अनुसार में शिक्षण परिषद को अधिसूचित शिक्षण परिषद, (ए.ए.ए.) सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु निर्देशित कार्य के अधीन सम्बद्धता एवं प्रयोग अधिसूचित अलावा हेतु सम्बद्धता विभाग प्रदान की जाती है-

संस्था का शीर्षक एवं नाम : 4896-NIRMALA DEVI COLLEGE OF PHARMACY JAUNPUR

क्रम सं.	संस्था का नाम	ए.ए.ए.सी/डीएफए/डीएफए द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु अनुमोदन प्रयोग अलावा	परिषद द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु अनुमोदन प्रयोग अलावा
1	DIPLOMA IN PHARMACY	80	80

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए.ए.ए.सी/डीएफए/डीएफए द्वारा निर्देशित की गई सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था द्वारा प्रदेश अधिसूचित शिक्षण परिषद (ए.ए.ए.) तथा अधिसूचित शिक्षण परिषद (विश्वविद्यालयी) 1982, अधिसूचित विद्यालयी-2018 तथा अन्य निर्देशित विदेशी एवं अधिसूचित का अनुपालन करेगी तथा मुख्य निर्देशित समिति द्वारा निर्देशित मुख्य तीन शर्तों (इसी संदर्भ में) प्रशासनिक हेतु ए.ए.ए.सी/डीएफए/डीएफए अधिसूचित, दो शर्तों (राज्यीय) प्रशासनिक हेतु ए.ए.ए.सी/डीएफए/डीएफए अधिसूचित एवं एक तथा दो शर्तों (राज्यीय) (दो शर्तों (राज्यीय) प्रशासनिक के अधिसूचित) हेतु ए.ए.ए.सी/डीएफए/डीएफए अधिसूचित मुख्य ही प्रयोग प्रशासनिक में प्रदान किया जाएगा। उपरोक्त के अधिसूचित प्रशासनिक में मुख्य के संदर्भ में समया-समय पर साफल्य प्राप्त किया किसे जाने वाले साफल्यपूर्ण प्रदर्शनी होगी, और साफल्यपूर्ण कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। यदि निर्देशित समिति द्वारा यदि वर्ष 2021-22 हेतु शिक्षण का पुनर्निर्धारण किया जाता है तो शिक्षण की नवीनतम शर्तें लागू होंगी।
- ✓ संस्था को (ए.ए.ए.) अधिसूचित शिक्षण परिषद तथा उप समिति, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना, विद्यालयी-2020 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में समूह प्रयोग परीक्षा परिषद द्वारा अधिसूचित आदेशों को ही प्रयोग दिया जाएगा। शीर्षक के शिक्षण एवं करने की विधि में उच्च प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार ही प्रयोग की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समया-समय पर निर्देशित साफल्य के अनुसार निर्देशित एवं सम्बद्धता मुख्य एवं करना होगा।
- ✓ संस्था को ए.ए.ए.सी/डीएफए/डीएफए/डीएफए में आगामी वर्ष हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था द्वारा प्रदेश सरकार द्वारा बनाये गये विद्यालयी/अधिसूचित/प्रशासनिक/सिद्धि एवं निर्देशित, अधिसूचित शिक्षण (ए.ए.ए.) समूह प्रयोग परीक्षा परिषद, (ए.ए.ए.) तथा अधिसूचित शिक्षण परिषद, (ए.ए.ए.) द्वारा बनाने गये निर्देशित, अधिसूचित, विदेशी का पालन करने के लिए बंध्य होगी।
- ✓ विदेशी इन शर्तों को प्रशासनिक की संस्था परीक्षा में ही, नई दिल्ली में अनुमोदन प्राप्त करने में आवश्यक शर्तों है जो इस संदर्भ में समया-समय प्रयोग प्रयोग का होगा और शिक्षण एवं में किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था द्वारा उपरोक्त होगी। अधिसूचित शिक्षण परिषद, समूह प्रयोग परीक्षा परिषद, अधिसूचित शिक्षण परिषद तथा अधिसूचित शिक्षण विभाग उच्च प्रदेश सरकार को शीर्षक एवं प्रदान किया जाता है एवं प्रदान एवं के संदर्भ में सा, साफल्य प्राप्त किया किसे प्रयोग की अधिसूचित शर्तों अधिसूचित किया जाता है तो समया-समय अधिसूचित शर्तों को बनानी होगी।
- ✓ विदेशी इन शर्तों को प्रशासनिक संरक्षित करने वाली संस्थाओं को समूह प्रयोग परीक्षा परिषद, उच्च प्रदेश सरकार द्वारा प्रयोग एवं के लिए अधिसूचित प्रयोग परीक्षा हेतु कार्यवाही प्रदान होगी के पूर्व ए.ए.ए.सी/डीएफए में अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यवाही को उपरोक्त कारणों द्वारा अन्य एवं प्रयोग की कार्यवाही के साफल्य एवं अन्य संस्था एवं परीक्षा प्रयोग, अनुमोदन नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उच्च प्रदेश सरकार द्वारा प्रयोग हेतु निर्देशित नवीनतम आदेशों विदेशी का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर शिक्षण की संस्था सूचनाएं जैसे संस्था की परिचयिका सूची सूची, नाम, समया-समय, उपकरण, प्रदान किया जाने वाले मुख्य प्रशासनिक मुख्य आदि का विवरण उपरोक्त कारणों द्वारा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-परिक्षण हेतु उपरोक्त कारणों द्वारा प्रयोग बनाने के साफल्यपूर्ण प्रयोग के संदर्भ में समया-समय साफल्य सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था एवं सुनिश्चित हो ने कि संस्था में प्रशासनिक/संरक्षित प्रशासनिक को बनाने वाले हेतु निर्देशित समिति के समया-समय कारणों एवं अधिसूचित, अधिसूचित, अधिसूचित, उपकरण द्वारा यदि संस्था द्वारा किसी अन्य प्रशासनिक के साफल्य में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था को सम्बद्धता समाप्त किसे जाने की अनुमोदन की जाएगी।
- ✓ संस्था के स्थानीय निर्देशित प्रयोग यदि संस्था में अधिसूचित, उपरोक्त, उपकरण एवं अन्य समया-समय ए.ए.ए.सी/डीएफए/डीएफए/डीएफए/डीएफए के साफल्यपूर्ण प्रयोग नहीं प्राप्त करता है तो संस्था को सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किसे जाने अन्य शर्तों का प्रशासनिक किसे जाने की विधि में विद्यालयी अनुपालन/अलावा कार्यवाही की जाएगी।


Principal
Nirmala Devi Pharmacy College
Jaunpur, Gorakhpur, Jaunpur

(सुनील कुमार शीतल)

सचिव

80- प्रविष्टिपत्रिका संख्या/2021/0558-4888

दिनांक: 09/08/2021

प्रति,

प्रधानाचार्य, NIRMALA DEVI COLLEGE OF PHARMACY JAUNPUR



(सुनील कुमार शीतल)

सचिव



Principal

Nirmala Devi Pharmacy College
Koyasand, Gaunachharpur, Jaunpur

✓ सम्बन्धित कार्य का अनुपालन न किया जाने अथवा कार्य का उल्लंघन किया जाने की स्थिति में निम्नलिखित अनुसंधानकर्ता कार्यवाही की जाएगी।


(संज्ञा-अपराध कार्य)

सचिव

संज्ञा- प्राथमिकी/सचिव संज्ञा-2022/7918-8488

दिनांक- 30/08/2022

उपरोक्त

सम्बन्धित कार्य NIRMALA DEVI COLLEGE OF PHARMACY


Principal

Nirmala Devi Pharmacy College
Nayamad, Gaurahatapur, Jampur


(संज्ञा-अपराध कार्य)

सचिव

कार्यालय

संघिय, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश सरकार

संख्या:- प्राविष/परिषद/सम्बद्धता/2023/12090001

लखनऊ दिनांक: 12-09-2023

कार्यालय भाव:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं कार्मिकी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा सैद्धिक सत्र 2023-24 हेतु पूर्व से संघठित द्वितीय राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में क्रमशः दिनांक 23-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद कार्मिकी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदत्त अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था की प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्याक्रम एवं उसमें अतिरिक्त प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4866-NIRMALADEVI COLLEGE OF PHARMACY

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	एनआईसीटीईई/पीसीईआईई द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ प्राविधिक शिक्षा, अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 311/18-20099/2022 टीपीसी-1 दिनांक 18 मई 2023 द्वारा पूर्व से संघठित संस्था संस्थाओं की शर्तों के विरुद्ध भारतीय न्यायालय में पंजीक रिट प्रार्थना संख्या 5021/2023 में भारतीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन सम्बद्धता मिली की जाती है।
- ✓ संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद कार्मिकी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद कार्मिकी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के मानक के अनुक्रम संस्करण में संस्था संघठन (युनि. भाग, सेवा उपकरण) अदि उपलब्ध है।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद संख्या 1582 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमसूची-1982, विनियमसूची-2000, संशोधन विनियमसूची-2016 तथा संस्था-संस्था पर निर्मित शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही उसके द्वारा शुल्क से प्राप्त किया जाएगा। उम्मीदों के अतिरिक्त शासनादेशों से शुल्क के सम्बन्ध में संस्था-संस्था पर शासन द्वारा निर्मित किये जाने वाले शासनादेश कायम रहेंगे और अनुसूचित कार्यवाही किया जाता आवश्यक होगा। शीर्ष निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2023-24 हेतु शीर्ष का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो शीर्ष की नवीनताम रहे लागू होंगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अतिरिक्त छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्था को संस्था, संस्था पर निर्मित शासनादेश के अनुसार विहित एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थाएं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्मित विधिविधायी/अधिनियम/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उ० प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ० प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० द्वारा बनाये गये नियत, विनियम, अधिसू, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्था का अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद कार्मिकी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन-निरस्त किया जाता है तो इस सम्बन्ध में संस्था उपरोक्तित संस्था का होना और विधिक रूप में किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध अदि कोई वाद उत्पन्न

Principal
Nirmala Devi Pharmacy College
Ajaynagar, Gorbahatnagar, Jaipur

- ✓ संस्था द्वारा ही तथा प्राचार्य द्वारा के संबंध में ना, न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी कोई भी निर्णय किया जाता है तो समस्त प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को इतरनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा प्रवेश पत्रों के लिए आवेदनित प्रवेश परीक्षा हेतु आदर्शित प्रवेश होने के पूर्व अधिकृत प्राचार्य तकनीकी शिक्षा परिषद/कासी की कार्यालय और इडिमा, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराया होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समस्त संस्था पर निर्दिष्ट नवीनतम आदर्शित विषयों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट तथा प्रचारितिक शिक्षा के पुस्तकालय पोर्टल पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साधन-संपदा, उपकरण, कार्य किया जाने वाला सुलभ, आवासन सुलभ आदि का विवरण उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संस्था को विद्यमान-प्रतिष्ठित हेतु उपयुक्त कलाकारों उपलब्ध कराने के साथ वैशेषी जीवन के संबंध में समस्त आवश्यक आवश्यक सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था पर सुनिश्चित हो कि संस्था में प्रशासित/संबंधित पर्यवेक्षण को प्रदान करने हेतु नियुक्त समिति के समस्त उपलब्ध कराये गये अधिकृत भूमि, भवन, प्रयोग, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पर्यवेक्षण के संस्थान में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश प्रचारितिक शिक्षा (अभियांत्रिकी और उपसम्पत्तियां, कासी) की सम्बद्ध किया जाया। विनियमनकारी, 2000 के अधिनियमनुसार परिषद की सेवा पर अपने समर्थनार्थ, भवनी और कासीया को परिषद की परीक्षा के संस्थान के लिए परिषद के अधिकार में रहेगी।
- ✓ संस्था के प्रवेश कालीन निर्देशन के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साधन-संपदा एं-आई/सी/टी/ई/टी/पी/सी/आई/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं बना जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता पत्रों का अनुपालन न किये जाने अथवा पत्रों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमनुसार अनुशासनसम्बन्ध कार्यवाही की जाएगी।



(अनीत कुमार मिश्र)

सचिव

पुं-सं-0- प्राधिप-परिषद सम्बद्धता/2023/12090002-12091230

दिनांक: 12-09-2023

प्राधिप-

प्रधानाचार्य/निदेशक NIRMALA DEVI COLLEGE OF PHARMACY



Principal
Nirmala Devi Pharmacy College
Jagmoad, Gumbhatshapur, Jaipur



(अनीत कुमार मिश्र)

सचिव